मध्यप्रदेश विधान सभा

जून–अगस्त, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 23 जुलाई, 1990 (श्रावण 1, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, प्रदेश की आसवानियों में मोलासिस से जहरीली मदिरा बनाए जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल के अनेक क्षेत्रों से हटाये गये अतिक्रमणों के प्रभावितों का व्यवस्थापन न होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति तथा स्वीकृति

श्री बाबूलाल गौर, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि––

"सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है."

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य.––

(1) जिला छतरपुर, विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर के ग्राम मुखर्रा में पेयजल सुविधा हेतु पुलिया नाला पर स्टाप डेम का निर्माण कराने के संबंध में 10 व्यक्तियों की, तथा

(2) जिला छतरपुर, ब्लाक लौंडी के ग्राम रगौली में पेयजल संकट को दूर कराये जाने के संबंध में 31 व्यक्तियों की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. विश्वविद्यालयों की सभाओं के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री विक्रम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :––

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार क्रमशः

(1) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन हेतु 8 सदस्य.

(2) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा हेतु 8 सदस्य.

(3) रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर हेतु 8 सदस्य.

(4) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर हेतु 8 सदस्य.

(5) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल हेतु 8 सदस्यों.

को विश्वविद्यालय सभा के लिये निर्वाचन हेतु अग्रसर हों."

निर्धारित समय	
6.30 बजे तक	**6. वर्ष 1990-91 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)**
1 घंटा 30 मिनट (शेष 1 घंटा 15 मिनिट)	(1) मांग संख्या 19–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण. मांग संख्या 61–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
1 घंटा	(2) मांग संख्या 14–पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय. मांग सख्या 15–डेयरी विकास.
1 घटा	(3) मांग संख्या 16–मछलीपालन.
1 घंटा	(4) मांग संख्या 39–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित व्यय.
1 घंटा	(5) मांग संख्या 18—श्रम.
साढ़े पांच बजे से	**7. वर्ष 1983–84 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान**

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:—

"दिनांक 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 5, 6, 8, 13, 14 16, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 33, 34, 45, 46, 52, 56, 67, 69 के लिये स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को पचास करोड, अठारह लाख, उन्नीस हजार, पांच सौ दस रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय".

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 1990 (क्रमांक 16 सन् 1990) का पुरःस्थापन *करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक 20 जुलाई, 1990.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

---

* अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.